न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 98/24 GCMS NO 2024/178

1. हीरालाल पुत्र केसरा
2. गोकुल पुत्र झारेडा
3. नन्दकिशोर पुत्र पून्या
4. प्यार सिह पुत्र कमोद
5. हरि सिह पुत्र कमोद जातियान खारवाड निवासी सुमेल तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बामनवास
2. रामजीलाल पुत्र कल्याण जाति गुर्जर निवासी गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

रैस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 37/08 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.8.10 न्यायालय उपजिला कलक्टर, बामनवास)
अभिभाषक अपीला0 श्री श्याम मोहन शर्मा
अभिभाषक रैस्पो0 श्री कमलेश गुर्जर

दिनांक 26.05.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 26.8.10 न्यायालय उपजिला कलक्टर, बामनवास पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलांट द्वारा एक वाद पत्र इन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणा खातेदारी इस आशय का पेश किया कि साबिक खसरा न0 319/466 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम सुमेल रामजीलाल पुत्र कल्याण गुर्जर की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि रही थी। वादी न0 1 ता 3 व वादी न0 4 व 5 के भाई रामसहाय ने उक्त आराजीयात जरिये रजिस्ट्री क्रय की थी। इसके बाद उक्त आराजी का नामा0 संख्या 326 वादी न0 1 ता 3 व 4 व 5 के भाई रामसहाय के नाम खुल गया। हरसहाय पुत्र कमोद कंवार की फौत हो गया, उसके खास भाई प्यार सिह व हरि सिह है। जो उसके हिस्से पर काबिज है। इसलिए पक्षकार बनाया गया है। बामनवास मे सेटलमेंट हुआ। सेटलमेंट के अधिकारियो से भूल से उक्त साबिक ख0न0 319/466 रकबा 5 बीघा का हाल न0 1130 रकबा 1.82 है0 कायम कर दिया जो साबिक रकबे से 38 ऐयर ज्यादा है। इस हाल खसरा न0 1130 को वापस खातेदारी विक्रेता के नाम कर दी व वादीगण का नाम हटा दिया। इस कारण दावा इन्द्राज दुरूस्ती पेश करना आवश्यक हुआ। अतः साबिक ख0न0 319/466 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम समुल का सेटलमेंट अधिकारियो द्वारा भूल से ख0न0 1130 रकबा 1.82 है0 कायम कर दिये उसे दुरूस्त कराते हुए वादीगण को साबिक रकबे व खातेदारी व कब्जे के आधार पर 5 बीघा [illegible] गण को खातेदार घोषित किया जावे इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती [illegible] अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/अपीलांट द्वारा चाही जाने [illegible] द्वारा वादीगण/अपीलांट [illegible] वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:52:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पत्र आंशिक रूप से डिक्री किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागणो की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करने मे अहम भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से विवादग्रस्त आराजी साबिक खसरा न0 319/466 रकबा 5 बीघा रेस्पो0 संख्या 2 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.1.86 को अपीलांट/वादीगण के पूर्वज रामसहाय द्वारा खरीद करना साबित माना है तथा उक्त खसरा न0 अपीलांट वादीगण का खरीद से आज तक कब्जा काश्त साबित माना है। अधिनस्थ न्यायालय ने यह भी स्वीकार किया है कि विक्रेता के नाम उक्त आराजी ख0न0 319/466 रकबा 5 बीघा नामा0 संख्या 303 गैर खातेदारी से खातेदारी मे दर्ज किया जा चुका था उसके बाद उक्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादीगण के पूर्वज रामसहाय द्वारा खरीद की गई उसके बाद उक्त आराजी जरिये नामा0 संख्या 326 वादीगण के पूर्वज क्रेता रामसहाय के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो चुकी थी। इस प्रकार सभी तथ्यो को स्वीकार करते हुए अपीलांट वादीगण का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित माना है फिर भी अपीलांट का दावा निर्णय व डिक्री करते समय अपीलांट वादीगण का वाद आंशिक रूप से डिक्री कर खसरा न0 319/466 का नवीन ख0न0 1150 रकबा 1.82 है0 के स्थान पर 0.57 है0 सुमेल का अपीलांट वादीगण संख्या 1 व 3 को 3/4 हिस्सा अपीलांट वादीगण संख्या 4 व 5 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया है जबकि अपीलांट वादीगण उक्त आराजी के 1.25 है वाके सुमेल के खातेदार काश्तकार है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने 1.25 है0 भूमि का अपीलांट वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित नही करने मे अहम भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय करते समय इस बाबत भी ध्यान नही दिया कि अपीलांट वादीगण ने रेस्पो0 संख्या 2 से 5 बीघा अर्थात 1.25 है0 भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की है। जबकि 0.57 है0 भूमि मात्र 2 बीघा 15 विस्वा भूमि होती है इस प्रकार निर्णय व डिक्री अधिनस्थ न्यायालय निरस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अपीलांटगण अनपढ अशिक्षित गरीब काश्तकार पेशा व्यक्ति है जिनको वकील ने दावा जीतना बता दिया कहा कि डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार रेस्पो0 संख्या 1 को इजराय करवाने हेतु कार्यवाही कर दी है तथा उक्त विवादग्रस्त आराजी की 5 बीघा भूमि अर्थात 1.25 है0 भूमि अपीलांट/वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो जावेगी अपीलांट इसी विश्वास मे रह गये। अभी हाल अपीलांट वादीगण अपनी खातेदारी की आराजी पर ऋण लेने हेतु के0सी0सी0 बनाने हेतु हल्का पटवारी के पास दिनांक 30.6.12 को नकल लेने गये तो ज्ञात हुआ कि अपीलांट वादीगण के उक्त खाते मे 1.25 है0 भूमि वाके ग्राम सुमेल के स्थान पर अपीलांट वादीगण की खातेदारी मे मात्र 0.57 है0 [illegible] दर्ज है जिस पर अपीलांट वादीगण अपने वकील से जाकर उक्त बात बताई। [illegible] कि अपीलांट वादीगणो का दावा तो डिक्री हुआ है लेकिन [illegible] 0.57 है0 भूमि का ही निर्णय क्यो किया गया है। जिस पर अपीलांट/वादीगण ने नकल प्राप्त की [illegible] बिना किसी देरी के अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:52:18 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

पेश की गई है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर अपीलांट/वादीगण के पूर्वजो द्वारा रजिस्टर्ड की गई आराजी ख0न0 319/466 रकबा 5 बीघा हाल खसरा न0 1.82 है0 मे से 1.25 है0 का प्रार्थी को खातेदार काश्तकार घोषित कर डिक्री पारित की जावे।

रेस्पो0के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया भू प्रबंध विभाग द्वारा साबिक रिकार्ड एवं मौके की स्थिति अनुसार ही रिकार्ड तैयार किया गया है। भू प्रबंध विभाग द्वारा भूमि खसरा न0 319/466 रकबा का नवीन खसरा न0 1130 रकबा 1.82 है0 यदि गलत कायम किया है तो वादीगण/अपीलांट को भू प्रबंध के दौरान आपत्ति करनी चाहिए थी। भू प्रबंध को समाप्त हुए 20 वर्ष हो चुके है। जबकि अपीलांट/वादीगण द्वारा इसके संबंध मे कोई कार्यवाही नही की गई है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौके एवं कब्जे के आधार पर विधि के अनुरूप ही निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि आराजी साबिक खसरा न0 319/466 रकबा 5 बीघा को अपीलांट/वादीगण के बुजुर्गो को रेस्पो0/प्रतिवादी रामजीलाल पुत्र कल्याण गुर्जर द्वारा दिनांक 24.1.86 को विकय की गई है। जिसकी पुष्टि पत्रावली मे उपलब्ध विकय पत्र से होती है। उक्त विकय पत्र की पालना मे नामा0 संख्या 326 प्रदर्श 4 के अनुसार प्रतिवादी रामजीलाल के स्थान पर केताओ के नाम दर्ज हुआ है। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी माना गया है। सेटलमेंट विभाग द्वारा दौराने सेटलमेंट भूमि साबिक खसरा न0 319/466 रकबा 5 बीघा के नवीन खसरा न0 1130 रकबा 1.82 है0 दर्ज किया है जो कि साबिक के मुकाबले 38 ऐयर ज्यादा है। जिसे दुरूस्त कराने की प्रार्थना वादीगण/अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय से की गई थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/अपीलांट का वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर भूमि हाल खसरा न0 1130 रकबा 0.57 है0 का खातेदार वादीगण को घोषित किया गया है शेष रकबा 0.68 है0 के बाबत किसी प्रकार का उल्लेख अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे नही की गई है। प्रतिवादी रामजीलाल द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र 1.25 है0 भूमि का किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री मे विधिक त्रुटि होने से निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनः सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड की जॉच की जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित है।

अतः अपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास के प्रकरण संख्या 37/[illegible] डिक्री दिनांक 26.8.2010 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय [illegible] इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे विवादित आराजीयात [illegible] जॉच कर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:52:18 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 7.7.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:52:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner